

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपखण्ड/उपखण्ड/नीमकाथाना
GCMU-2024/111

नंबर व तारीख
जो इस हुक्म
तामील में जा

10/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्र की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादीगण तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,
राजवीर सिंह यादव
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. अब्दुल खलील पुत्र यासीन खां वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. मुन्नी बानो पत्नी अब्दूल शकुर वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 60 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री सुशील कुमार अग्रवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मुद्ई स्थाई निषेधाज्ञा व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का वाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।